



Neutral Citation No. - 2026:AHC:37757

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

क्रिमिनल मिस्ले. एंटीसिपेटरी बेल अप्लीकेशन अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस.

सं. - 1383 वर्ष 2026

संगीता देवी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : भावेश प्रताप सिंह, संजय कुमार दुबे

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री जयराम पांडे को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. यह आवेदन कानपुर देहात जिले के मंगलपुर थाने के अन्तर्गत बी.एन.एस. की धारा 190, 191(2), 191(3), 352, 115(2), 110, 105, 117(2) के तहत दर्ज मुकदमा अपराध सं. 112 सन् 2025 में अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि यह आवेदक की ओर से दायर किया गया दूसरा अग्रिम जमानत आवेदन है। उनका पहला अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2025 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन सं. 6527 सन् 2025 में पारित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और आवेदक के खिलाफ अभी तक कोई दंडात्मक प्रक्रिया जारी नहीं की गई है। यह भी निवेदन किया गया कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देती है और वह विचारण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय द्वारा आवश्यकतानुसार उपस्थित होगी। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और मुकदमे में सहयोग करेगी तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगी।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनने के बाद।

6. जब इस न्यायालय ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता से यह दिखाने के लिए कहा कि क्या उनकी पहली अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद आवेदक मुकदमे में सहयोग कर रही हैं, तो आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त प्रश्न के संबंध में कुछ भी प्रदर्शित करने में विफल रहे। इसके अलावा, आवेदक अपनी दूसरी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने के लिए कोई नया आधार भी प्रदर्शित करने में विफल रही हैं, जबकि उनकी पहली अग्रिम जमानत याचिका पहले ही इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है, सिवाय इसके कि अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है, इसलिए वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

7. तदनुसार और उपरोक्त के मददेनजर, वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

18 फरवरी, 2026

मुस्तकीम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।